सं.ए.11018/02/2016-एमएच-II/एनसीडी-I

भारत सरकार

स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय

एनसीडी-I

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई में व्‍ यावसायिक चिकित्‍ सक पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्‍ था.(आरआर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई में व्‍ यावसायिक चिकित्‍ सक पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्‍ न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्‍ पणी करने या सुझाव देने के इच्‍ छुक स्‍ टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (पीएन), स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, कमरा नं. 414-ए, 'डी' विंग, स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्‍ ली- 110108 को लिखित रूप में या ई-मेल पते prem.narain68@nic.in पर भेज सकते हैं।

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23062032

(प्रेम नारायण)
(PREM NARAIN)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स् वास् थ् य एवं परिवार कल् याण मंत्रालय

नई दिल् ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ) राष् ट्रपति, संविधान के अनुच् छेद 309 के परन् तुक द्वारा प्रदत् त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित् सा एवं पुनर्वास संस् थान, मुंबई (व् यावसायिक चिकित् सक) भर्ती नियम को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित् सा एवं पुनर्वास संस् थान, मुंबई में व् यावसायिक चिकित् सक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन् हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स् वास् थ् य एवं परिवार कल् याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित् सा एवं पुनर्वास संस् थान, मुंबई में व् यावसायिक चिकित् सक पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम् नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप् त नाम और प्रांरभ** : (1) इन नियमों को स् वास् थ् य एवं परिवार कल् याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित् सा एवं पुनर्वास संस् थान, मुंबई, व् यावसायिक चिकित् सक समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

    (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग् न अनुसूची के स् तम् भ (1) के पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख् या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक् त पदों की संख् या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स् तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष् ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक् त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन् य बातें वे होंगी जो उक् त अनुसूची के स् तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष् ट हैं।
5. निरर्हता - वह व् यक्ति -

    (1) जिसने ऐसे व् यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत् नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

    (2) जिसने अपने पति या अपनी पत् नी के जीवित रहते हुए किसी व् यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक् त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे ट यक्ति और विवाह के अन् य पक्षकार को लागू ब यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन् य आधार हैं तो वह किसी ट यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश् यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन् हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ट यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **ठ यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन् य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन् य विशेष प्रवर्ग के ट यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक स में स तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व यावसायिक चिकित सक	03 (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 6	लागू नहीं	30 वर्ष एवं कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेश के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) किसी मान यता प्राप त विश व विद्यालय से व यावसायिक चिकित सा में स नातक डिग्री (2) किसी सरकारी अस पताल या न यूनतम 50 बिस तरों वाले निजी अस पताल में व यावसायिक चिकित सा में दो वर्ष का व यावसायिक अनुभव। वांछनीय: i. किसी मान यता प्राप त भारतीय विश व विद्यालय या संस थान से किसी शाखा में व यावसायिक चिकित सा में मास टर डिग्री।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन नत व यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन् नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन् नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन् नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस् थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु): 1. अपर निदेशक, एआईआईपीएमआर, मुंबई - अध् यक्ष 2. उप निदेशक (पुनर्वास), एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस् य 3. सलाहकार (संवेदनाहरण), एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस् य 4. अध् यक्ष, व् यावसायिक चिकित् सा विभाग, एआईआईपीएमआर, मुंबई - सदस् य	लागू नहीं

सं. ए-11018/02/2016-एमएच-II

प्रेम नारायण

अवर सचिव, भारत सरकार

(प्रेम नारायण)
(PREM NARAIN)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi